I J C R M
International Journal of Contemporary Research In Multidisciplinary

Review Article

भारत में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा

Jyoti Songara[1*], Dr. Richa Shrivastava[2], Dr. Niti Nipuna[3], Dr. Vishal Sharma[4]
Sage University, Indore, Madhya Pradesh, India

Corresponding Author: *Jyoti Songara

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15641739

सारांश

दुनिया के हर समाज में महिलाओं के ऊपर घरेलू हिंसा होता रहा है। घरेलू हिंसा में घर में रहने वाले लोग ही महिला के ऊपर अनेक प्रकार में हिंसा करते है। महिलाओं के ऊपर केवल शारीरिक शोषण ही हिंसा नहीं है बल्कि भावनात्मक शोषण, मनोवैज्ञानिक दुव्यवहार या वेचतिता, आर्थिक शोषण, गाली-गलौज, ताना मारना आदि शामिल है। अर्थात् चारदीवारी के भीतर होने वाली हर हिंसा घरेलू हिंसा की श्रेणी में आती है। दो लोगों के बीच जब प्यार, सम्मान और महानुभूति की भावना समाप्त होकर नफरत और कुरता में तब्दील हो जाती है तो वो परेलू हिंसा बन जाती है। घरेलू हिंसा न केवल विकासशील या अल्प विकनित देशों की समस्या है बल्कि यह विकनित देशों में भी बहुत प्रचनिन है। ये शारीरिक, मेक्शुअल और व्यवहारिक तीनों ही तरह की हो सकती है।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 14-05-2025
- **Accepted:** 29-05-2025
- **Published:** 09-06-2025
- **IJCRM:**4(3); 2025: 332-337
- **©2025, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

Songara J, Shrivastava R, Nipuna N, Sharma V. भारत में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा. Int J Contemp Res Multidiscip. 2025;4(3):332-337.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

मुख्य शब्द: हिंसा, घरेलू, शारीरिक, भावना, समस्या, पीडित, महिला

प्रस्तावना

घरेलू हिंसा (वैवाहिक दुर्व्यवहार, अंतरंग साथी हिंसा, घरेलु मारपीट या पारिवारिक हिंसा आदि) सहवास अथवा विवाह जैसे बंधनों के बाद घरेलू स्तर पर एक साथी का अन्य साथी के साथ मारपीट अथवा दुर्व्यवहार को प्रकट करने वाला शब्द है। अंतरंग साथी अथवा जीवन साथी के साथ दुर्व्यवहार भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। घरेलू हिंसा विपरीत लिंगी अथवा समलैंगिक संबंधों में भी हो सकती है। घरेलू हिंसा के शारीरिक, भावनात्मक, मौखिक, आर्थिक और यौन शोषण सहित विभिन्न रूप हो सकते हैं, जिसमें धूर्तता से लेकर विवाह पश्चात बलात यौन सम्बन्ध और हिंसक शारीरिक शोषण भी शामिल हैं एवं इसके परिणामस्वरूप मानसिक अथवा शारीरिक विरूपण अथवा मौत भी संभव है। वैश्विक रूप से सामान्यतः पत्नी अथवा महिला साथी घरेलू हिंसा की शिकार

© 2025 Jyoti Songara, Dr. Richa Shrivastava, Dr. Niti Nipuna, Dr. Vishal Sharma. This open-access article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

अधिक होती है हालांकि इसका शिकार पुरुष साथी अथवा दोनों एक दूसरे के खिलाफ घरेलू हिंसा का शिकार हो सकते हैं अथवा दोषी आत्मरक्षा या प्रतिशोध के कारण भी घरेलू हिंसा का शिकार हो सकता है। जबकि विकसित विश्व में घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को प्राधिकारियों के पास खुले आम शिकायत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, यह तर्क दिया जाता है कि पुरुषों के साथ होने वाली घरेलू हिंसा को प्रतिवेदित नहीं किया जाता क्योंकि इससे उन्हें सामाजिक रूप से कायर और पुरुषत्वहीन माना जाता हैं!

घरेलू हिंसा का अर्थ

अधिनियम की धारा 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई है अतः इसके अनुसार निम्न कार्यों को घरेलू हिंसा माना जाएगा-

1. महिला के जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि की अपहानि करना या संकट ग्रस्त करना।
2. महिला को अपनी सम्पत्ति अथवा भरण पोषण से वंचित करना।
3. अन्य किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक क्षति कारित करना।
4. महिला के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार करना।
5. लैगिक दुव्यवहार करना।
6. भावनात्मक दुर्व्यवहार करना।
7. आर्थिक दुव्र्व्यवहार करना

घरेलू हिंसा के कारण

घरेलू हिंसा के कई कारण है। अक्सर परिवार में दहेज को लेकर बहू के साथ मारपीट की जाती है। पति के द्वारा गाली-गलौच की जाती है। दहेज के अलावा पति पत्नि में आपसी समझ का अभाव भी होना इसका एक कारण है। दैनिक व्यवहार में औरतों को ताने देना जैसे बीझ, अपशकुनी, डायन, पागल आदि ये भी घरेलू हिंसा का कारण है। यदि घर बहू, लड़के की जगह लड़की को जन्म दे दे तो उनको रोज ताना मारना। कम पढ़ी लिखी बहू आने पर पति व ससुराल वालो के द्वारा रोज ताना देना। अतः अशिक्षित होना भी घरेलू हिंसा का कारण है। घर का पुरुष यदि शराबखोर है तो ये भी घरेलू हिंसा का कारण होता है क्योकि वह नशे में अपनी पत्नि के साथ मारपीट करता है। इलेक्ट्रोनिक मीडिया भी घरेलू हिंसा का कारण है

साहित्य समीक्षा

महिलाओं के खिलाफ हिंसा

महिलाओं के खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न के खिलाफ हिंसा को पुरुषों द्वारा महिलाओं से श्रेष्ठ माना जाता है। महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति को देखते हुए, लैंगिक हिंसा को सामान्य माना जाता है और इसका सामाजिक उपयोग प्राप्त होता है। हिंसा की भयावहता में शारीरिक आक्रामकता है, जैसे कि अलग-अलग हिस्सों के युद्ध, जालना, फाँसी की कोशिश, यौन शोषण और बलात्कार, अपमान, अपमान, जबरदस्ती, ब्लैकमेल, आर्थिक या दार्शनिक धमकियों और भाषण और गतिविधियों पर नियंत्रण के माध्यम से मनोवैज्ञानिक हिंसा। चरम मामलों में, लेकिन अज्ञात मामलों में, मृत्यु परिणाम है। (एड्रियाना, 1996) हिंसा की ये अभिव्यक्तियाँ परिवार, राज्य और समाज के भीतर एक पुरुष-महिला संबंध में होती हैं। आम तौर पर, महिलाओं और लड़कियों के प्रति-घरेलू आक्रामकता, विभिन्न वस्तुओं से बनी रहती है।हिंसक व्यवहार के विकास और प्रसार के साथ सांस्कृतिक और सामाजिक कारक जुड़े हुए हैं। पुरुषों और महिलाओं के समाजीकरण की अलग-अलग भूमिकाएँ हैं- अलग-अलग खेलों के साथ, पुरुष वर्ग के साथ और नियंत्रण की रुधिबद्ध लैंगिक भूमिकाएँ अपनाते हैं, जबकि महिलाएँ समाज के प्रति सम्मान, सम्मान और सम्मान की भूमिका निभाती हैं। एक लड़की लगातार बेकार और सुरक्षा की बर्बादी महसूस करती रहती है, वह शारीरिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक। इस लाचारी ने जीवन के लगभग हर चरण में अपना शोषण किया है।अपने परिवार को लिंगों के बीच में सम्मिलित श्रम विभाजन और सुविधा के आधार पर शक्ति में अभ्यास अभ्यास को स्वीकार करने के लिए समाज को मान्यता दी जाती है। परिवार और इसकी संचालन इकाई वह स्थान है जहां बाल जन्म से ही लिंग भेदों के संपर्क में है, और हाल के दिनों में जन्म से पहले ही लिंग कलाकारों के रूप में भ्रूण हत्या और कन्या शिशु हत्या हत्या को जन्म दिया जाता है। घर, जिसे सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है, वह वह स्थान है जहाँ महिलाएँ सबसे अधिक हिंसा के संपर्क में आती हैं। महिलाओं के उत्पीड़न को कई तरह के भेदभाव के खिलाफ स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। वियना में विश्व मानवाधिकार सम्मेलन ने पहली बार 1993 में लिंग आधारित हिंसा को मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में समझाया। वही, संयुक्त राष्ट्र ने 1993 में अगेंस्टपेपर में महिलाओं की हिंसा को "लिंग आधारित हिंसा का कोई भी कार्य" घोषित किया, जिसके परिणामस्वरूप किसी भी महिला को शारीरिक, यौन या मानसिक क्षति या पीड़ा होती है या होने की संभावना होती है, जिसमें ऐसे कार्य की भयावहता, तनाव या स्वतंत्रता के मनमाने से संबंधित सिद्धांत शामिल होते हैं, वह सार्वजनिक या व्यक्तिगत जीवन में हो। (गोमेज़ द्वारा उद्धृत, 1996) राधिका कुमारस्वामी ने विभिन्न क्रूरता की पहचान की, संयुक्त राष्ट्र की विशेष रिपोर्ट, 1995 में, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर;परिवार में होने वाली शारीरिक, लैंगिक और मनोवैज्ञानिक हिंसा, जिसमें पुस्तकालय, घर में अलगाव के साथ यौन शोषण, दार्शनिक सैद्धांतिक हिंसा, विचित्र हिंसा और शोषण से संबंधित हिंसाएं शामिल हैं।सामान्य समुदाय में होने वाली शारीरिक यौन और मनोवैज्ञानिक टिप्पणियाँ, जिसमें बलात्कार, यौन उत्पीड़न, संस्थापक पर, अनुयायी में और अन्य स्थानों पर यौन उत्पीड़न और खतरनाक, महिलाओं की भावनाएं और पारंपरिक वेश्यावृत्ति प्रथा शामिल है। शारीरिक, वैयक्तिक और मनोवैज्ञानिक हिंसा, जो राज्य द्वारा किया जाता है या प्रस्तावित अभियुक्तों द्वारा किया जाता है, घायल वह कहीं भी हो। इस परिभाषा में 1993 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा दी गई परिभाषा में 'राज्य द्वारा की गई निंदा या की गई हिंसा' को जोड़ा गया। कुमारस्वामी (1992) के अनुसार महिलाएँ कई आक्षेपों से हिंसक व्यवहार के विभिन्न सिद्धांतों के प्रति संकेत देती हैं, जो सभी लिंग पर आधारित होते हैं।

1. महिला के कारण, महिला से बलात्कार, महिला में ख़तना/जननांग विकृति, कन्या भ्रूण हत्या और यौन संबंध अपराध का शिकार होता है। इसका कारण समाज द्वारा महिला उचक्ता के निर्माण और सामाजिक शिक्षकों में इसकी भूमिका से संबंधित है।
2. पुरुष से संबंध होने के कारण महिला घरेलू हिंसा, आत्महत्या, सती प्रथा का शिकार होती है। इसका कारण समाज में महिला को संपत्ति और पुरुष को संरक्षक, पिता, पति, पुत्र आदि की संज्ञा की अवधारणा है।
3. युद्ध, जातिगत या जातिगत, जातिगत या जातीय हिंसा के समय जिस सामाजिक समूह से वह संबंधित है, उसके कारण महिला का बलात्कार किया जा सकता है और उस समुदाय को उसके साथ नैतिकता की

© 2025 Jyoti Songara, Dr. Richa Shrivastava, Dr. Niti Nipuna, Dr. Vishal Sharma. This open-access article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

शिक्षा देने के लिए कहा जा सकता है जिससे वह संबंधित है। यह महिला और महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति के रूप में पुरुषों की धारणा से भी संबंधित है। लिंग हिंसा को देखने का एक उपयोगी तरीका यह पहचानना है कि महिलाओं के प्रति हिंसा कहाँ होती है। अनिवार्य रूप से, हिंसा के तीन संदर्भ होते हैं - परिवार, समुदाय और राज्य और प्रत्येक बिंदु पर प्रमुख सामाजिक संस्थाओं में हिंसा को वैध बनाया जाता है और बनाए रखा जाता है जिसमें महत्वपूर्ण और अंतःक्रियात्मक कार्य होते हैं।

1. परिवार अपने सदस्यों को लिंगों के बीच गर्भपात श्रम विभाजन और भाग के हिस्से पर शक्ति द्वारा व्यक्तित्व अभ्यास को स्वीकार करने के लिए समाज में भर्ती कराया जाता है।
2. सामुदायिक (अर्थात सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाएं) महिलाओं की स्वच्छता , गहनों और श्रमिकों पर पुरुषों पर नियंत्रण को सम्मिलित रखने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं।
3. राज्य महिलाओं पर पुरुषों के स्वामित्व अधिकारों को वैध बनाता है, जिससे परिवार और समुदाय को शामिल होने के लिए कानूनी आधार मिलता है। राज्य कानून के भेदभावपूर्ण सिद्धांत के माध्यम से ऐसा होता है।मागरिट शूलर ने लैंगिक हिंसा को चार प्रमुख स्थानों में विभाजित किया है;

1. प्रत्यक्ष शारीरिक वर्गीकरण

मारना-पीटना: शारीरिक हमला, जैसे — थप्पड़ मारना, घूंसा मारना, लात मारना, धक्का देना आदि।
चोट पहुँचाना: शरीर को क्षति पहुँचाना, जैसे — काटना, घाव करना, हड्डी तोड़ना आदि।
जानलेवा हमला: जीवन को खतरे में डालने वाले कृत्य, जैसे — गला घोंटना, ज़हर देना, गोली मारना आदि।
शारीरिक ताड़ना: शरीर को बाँधना, बंद करना, जबरन यातना देना, दर्द पहुँचाना आदि।

2. बौद्ध विवाह

बौद्ध धर्म में विवाह: बौद्ध धर्म में विवाह एक नागरिक अनुबंध (civil contract) है, जिसमें दो व्यक्तियों के बीच प्रेम, सम्मान और सहयोग का वादा होता है। यह कोई धार्मिक अनिवार्यता नहीं है, बल्कि पारस्परिक सहमति पर आधारित सामाजिक व्यवस्था मानी जाती है।
घरेलू हिंसा के प्रति दृष्टिकोण: बौद्ध धर्म में घरेलू हिंसा को अनुचित माना जाता है, क्योंकि यह करुणा, प्रेम और अहिंसा जैसे मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। हिंसा किसी भी रूप में बौद्ध शिक्षाओं का उल्लंघन करती है।
बौद्ध शिक्षाएँ: बौद्ध शिक्षाएँ करुणा (Compassion), मैत्री (Loving-kindness), और अहिंसा (Non-violence) पर आधारित होती हैं, जो घरेलू हिंसा को रोकने में मदद कर सकती हैं। ये सिद्धांत एक शांतिपूर्ण और सहिष्णु जीवनशैली को बढ़ावा देते हैं।
समुदाय की भूमिका: बौद्ध विवाह में यदि घरेलू हिंसा के मामले सामने आते हैं, तो पीड़ित व्यक्ति को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए बौद्ध समुदाय और संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह समर्थन मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पर दिया जा सकता है।

3.शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण के लिए शब्दावली बनाना (स्वास्थ्य/पोषण, शिक्षा, दवा के साधन)
4. महिलाओं का वस्तुकरण (तस्करी, वेश्यावृत्ति प्रथा)। एड्रियाना गोमेज़ ने हिंसा के दो शोधकर्ताओं के बारे में भी बात की है, जो हैं; बाज़ार और प्रत्यक्ष। कट्टरपंथी हिंसाएँ प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हमलों से उत्पन्न होती हैं, जहाँ तक वे बड़ी संख्या में लोगों के जीवित रहने के लिए कार्यकर्ताओं तक पहुँच को अवरुद्ध कर देते हैं; उदाहरण के लिए, कुछ लोगों के लाभ के लिए हजारों लोगों के अति-शोषण पर आधारित आर्थिक मॉडल, अत्यधिक गरीबी में गरीबी रेखा का विरोध, और उत्पीड़न और भेदभाव के खिलाफ युवाओं से अलग होना बताया गया। उनका मानना है कि सांप्रदायिक हिंसा प्रत्यक्ष हिंसा का आधार है, क्योंकि यह समाजवाद को प्रभावित करता है जिसके कारण व्यक्ति अपने सामाजिक कार्य के अनुसार पीड़ा को स्वीकार या प्रतिष्ठा करता है। खुली या प्रत्यक्ष हिंसा आक्रामकता, शारीरिक या शारीरिक बल के माध्यम से की जाती है। (लारेन और रोड्रिग, 1993) महिलाओं के खिलाफ चौथा सम्मेलन, 1995 में एक व्यक्ति या समूह द्वारा दूसरे या दूसरे लोगों द्वारा महिलाओं के खिलाफ हिंसा को शारीरिक आक्रामकता के रूप में परिभाषित किया गया है। लिंग आधारित हिंसा के विरुद्ध महिलाओं की हिंसा का कोई भी कार्य नहीं है जिसका अर्थ है सार्वजनिक या निजी जीवन में स्वतंत्रता का शारीरिक, यौन या मनमाना हनन होता है और सशस्त्र संघर्ष की सीमा में महिलाओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। (महिलाओं पर सम्मेलन, बीजिंग, 1995 देश रिपोर्ट)।हिंसा एक ऐसा कार्य है जो किसी अन्य व्यक्ति को शारीरिक रूप से घायल या कथित इरादे से किया जाता है (जेल्स एंड स्ट्रॉस, 1979)। लैंगिक हिंसा को "किसी ने भी ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित किया है जिसमें लैंगिकता को बढ़ावा देने के इरादे से बल या जबरदस्ती का उपयोग शामिल है।" (पीएडब्ल्यूएलडी, 1990, शूलर, 1992) इस परिभाषा में लिंग आयाम जोड़ने से इसमें महिलाओं द्वारा की गई हिंसक हरकतें भी शामिल हो जाती हैं क्योंकि वे महिलाएं हैं। इस जोड़ के साथ की परिभाषा अब सरल या स्पष्ट नहीं बताई गई है। लैंगिक हिंसा की घटनाओं को समझने के लिए महिलाओं द्वारा निर्देशित हिंसा के पैटर्न और पैटर्न के बारे में बताया गया है। लिज़ केली (1998), सर्वाइविंग सेक्सुअल पॉलिटी ने "किसी भी शारीरिक, दृश्य, मानसिक या यौन क्रिया पर हिंसा को परिभाषित किया है जो उस महिला या लड़की द्वारा उस समय या बाद में खतरनाक, आक्रमण या हमले के रूप में अनुभव किया जाता है, जिसका प्रभाव उसे चोट पहुंचाता है या उसे सलाह देता है और/या इंटरैक्टिव संपर्क का विरोध करने की उसकी क्षमता को छीनने का होता है।"डॉ. जोआन लिडल ने इस परिभाषा को रासायनिक बनाते हुए कहा, "कोई भी शारीरिक, दृश्य, मानसिक या यौन क्रिया जो व्यक्ति उस समय या बाद में खतरनाक, आक्रमण या हमलों के रूप में अनुभव करता है, जिसका प्रभाव चोट लगना या उसकी अज्ञानता करना या उसके अपने व्यवहार या बातचीत को नियंत्रित करने की क्षमता को समाप्त करना होता है, जैसे कि यह मुख्य, घर, सड़क या समुदाय के किसी अन्य क्षेत्र में होता है।"

अध्ययन के उद्देश्य

घरेलू हिंसा नियम, 2005 के फॉर्म V के अनुसार सुरक्षा योजना बनाने के लिए भी सुरक्षा अधिकारियों की आवश्यकता होती है। यह सब घरेलू

© 2025 Jyoti Songara, Dr. Richa Shrivastava, Dr. Niti Nipuna, Dr. Vishal Sharma. This open-access article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

हिंसा की रोकथाम के लिए उपाय की सलाह और उन पर अमल करने के उद्देश्य से किया गया है।
सुरक्षा अधिकारी को हर सामूहिक हिंसा के लिए सहायता देने हेतु बाध्य किया जाता है, जिसमें उसके परामर्शदाता और आश्रय स्थल में आवास की व्यवस्था शामिल होती है, जिसमें वह अपने घर पर सुरक्षित नहीं होता है। सबसे पहले सुरक्षा अधिकारी को कानूनी सहायता सेवाएं, परामर्श, चिकित्सा सहायता, या पीड़ितों के आश्रय के लिए अपने क्षेत्राधिकार में शामिल सभी सेवा प्रदाताओं की सूची तैयार करनी होती है।

सेवा प्रदाता (धारा 10)
सेवा प्रदाता महिला अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत पंजीकृत संगठन हैं। ये संगठन निरोधात्मक, डिज़ाइनर और सांख्यिकी का काम करते हैं। ये घरेलू हिंसा के शिकार और लोगों की सहायता करने और उन्हें कानूनी, सामाजिक, नशेड़ी और आर्थिक सहायता देने के लिए जिम्मेदार हैं। ये संस्थाएं निश्चित रूप से आवेदन के प्रारूप में याचिका दर्ज कर सकती हैं और उसे सीधे आवश्यक कार्रवाई के लिए नियुक्त कर सकती हैं और मजिस्ट्रेट और सुरक्षा अधिकारी को भेज सकती हैं। यदि कंक्रीट रिंक है तो ये संस्थाएं उसे चिकित्सकीय सहायता और शरणगृहों में आवास का प्रबंधन कर सकती हैं। राज्य सरकार सेवा प्रदाताओं की सूची है और उन्हें क्षेत्र के विशेष सुरक्षा अधिकारी के पास भेजा जाता है ताकि वे मित्रता के साथ काम कर सकें। किसी भी क्षेत्र विशेष के प्रदाताओं की सूची में जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए अखबार में प्रकाशित किया जाना होता है या राज्य सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रावधान होता है।

परामर्शदाता (धारा 14)
परामर्शदाता सेवा प्रदाताओं के ऐसे सदस्य हैं जो घरेलू हिंसा के मामलों से निबटने में उपयुक्त एवं अनुभवी होते हैं इसलिए वे घरेलू हिंसा के मामलों से परामर्शदाता परामर्शदाता दक्ष होते हैं। इस अधिनियम के दौरान यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा महसूस होता है कि किसी विशेषज्ञ या पेडक व्यक्ति को परामर्श की आवश्यकता है, तो वह उन्हें परामर्शदाता के पास परामर्श सत्रों में भाग लेने के लिए सीधे निर्देश जारी कर सकता है। परामर्शदाता पत्रिका के लिए सहजा स्थान पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और वह पीड़ित की शिकायत के लिए उपाय सुझाता है और जहां वह पीड़ित होता है, वह वहां पर एकांत का भी प्रबंधन करता है। इस प्रकार के परामर्श का उद्देश्य घरेलू हिंसा के विरुद्ध पीड़ित व्यक्ति के प्रयासों को बढ़ावा देना और विकसित करना है,

कल्याण विशेषज्ञ (धारा 15)
कल्याण विशेषज्ञ पारिवारिक मामलों को कार्यशाला में स्टूडियो और विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्ति विशेष मिलते हैं। इस अधिनियम के तहत आवश्यक दस्तावेज पर मजिस्ट्रेट कल्याण विशेषज्ञ की सहायता ले सकते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत जहां तक संभव हो महिला विशेषज्ञ का चुनाव किया जा सकता है।

<u>आश्रय एवं चिकित्सा सुविधा प्रभारी</u>
घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 6 और 7 के अनुसार आश्रय और चिकित्सा सुविधा के प्रभारी का दायित्व है कि स्वयं सेवक या सुरक्षा अधिकारी या उसके सेवा प्रदाता के आधार पर आश्रय और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो।

शोध की परिकल्पना :
<u>भारत में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के आंकड़</u>
भारतीय समाज में जैसे-जैसे आधुनिकता का विस्तार हुआ वैसे-वैसे महिलाओं के प्रति संकीर्णता का भाव भी बढता चला गया। आधुनिक समाज में महिला मात्र भोग्या बनकर रह गई है। तथाकथित मानसिकता का परिणाम यह है कि महिलाओं के प्रति छेड़छाड़, बलात्कार, अनैतिक व्यापार, दहेज, मृत्यु, यौन उत्पीड़न, घरेलु हिंसा जैसे अपराधों में निरन्तर वृद्धि होती चली गई। में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ सर्वेक्षण (NFHSU) स्पष्ट किया गया कि भारत में 15-49 आयु वर्ग की 30 फीसदी महिलाओं को 15 साल की आयु से ही शारीरिक हिंसा का सामना करना पडता है साथ ही उसी वर्ग की 6 फीसदी महिलाओं को उनके अपने जीवन काल में कम से कम एक बार यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है।"
राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि महिलाओं को सुरक्षा उपलब्ध कराने के बावजूद भी 2014 में प्रतिदिन 100 महिलाओं का बलात्कार हुआ और 364 महिलाएं यौनशोषण का शिकार हुई. रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में केंद्रशासित और राज्यों को मिलाकर कुल 36735 मामले दर्ज हुए. यह भी तथ्य उजागर हुआ है कि हर वर्ष बलात्कार के मामले में वृद्धि हुई है. यानी इसका मतलब यह हुआ कि महिला अत्याचार विरोधी कानून का खौफ नहीं है या यूं कहें कि कानून का ईमानदारी से पालन नहीं हो रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है. आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2004 में बलात्कार के कुल 18233 मामले दर्ज हुए जबकि वर्ष 2009 में यह आकडा बढ़कर 21397 हो गया. इसी तरह वर्ष 2012 में 24923 मामले दर्ज किए गए और 2014 में यह संख्या 36735 हो गयी. गौर करें तो 2014 का आंकड़ा वर्ष 2004 के मुकाबले दोगुनी है. राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट पर गौर फरमाएं तो पिछले वर्ष के रिकार्ड के अनुसार महिलाओं के लिए मध्यप्रदेश सबसे अधिक असुरक्षित राज्य के रुप में उभरा है. पिछले वर्ष यहां सबसे अधिक 5076 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए इसी तरह राजस्थान में 3759, उत्तरप्रदेश में 3467, महाराष्ट्र में 3438 और दिल्ली में 2096 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए।" आमतौर पर राजनीतिकों द्वारा बिहार में जंगलराज की बात कही जाती है. लेकिन गौर करें तो यह राज्य महिलाओं की सुरक्षा के मामले में मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, राजस्थान और दिल्ली से बेहतर है. आंकड़ों से उजागर हुआ है कि 2014 में बिहार में बलात्कार के कुल 1127 मामले दर्ज हुए आमतौर पर बलात्कार के कारणों में अशिक्षा को भी जिम्मेदार माना जाता है. लेकिन विडंबना है कि संपूर्ण साक्षरता के लिए जाना जाने वाला राज्य केरल में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं. यहां पिछले वर्ष 1347 महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले दर्ज किया गये।
"महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से केंद्रशासित राज्य बेहतर हैं, रिपोर्ट के मुताबिक लक्षद्वीप महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से प्रथम और नगालैंड दूसरे स्थान पर है. इसी तरह दमन और दीव तथा दादर नगर हवेली भी महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थान है. देश के अधिकांश राज्य महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील और असुरक्षित हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी कि महिलाएं सिर्फ सड़कों व सार्वजनिक स्थानों पर ही असुरक्षित नहीं है. बल्कि वह अपने घर-परिवार और रिश्ते-

© 2025 Jyoti Songara, Dr. Richa Shrivastava, Dr. Niti Nipuna, Dr. Vishal Sharma. This open-access article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

नातेदारों की जद में भी असुरक्षित हैं. राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो उद्घाटित कर चुका है रिश्तेदारों द्वारा बलात्कार किए जाने की घटनाओं में अप्रत्याशित रुप से वृद्धि हुई है. दुष्कर्म की घटनाओं में तकरीबन 95 फीसदी मामलों में पीड़ित लड़की दुष्कर्मी को अच्छी तरह जानती पहचानती है फिर भी उसके खिलाफ अपना मुंह नहीं खोलती शायद उसे भरोसा नहीं होता है कि कानून व समाज उसे दण्डित कर पाएगा।"

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने 2016 की क्राइम रिपोर्ट जारी कर दी है. जिसमें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में किसी तरह की कमी देखने को नहीं मिली है. जहां 2014 के मुकाबले 2015 में औरतों के खिलाफ अपराध में 3 प्रतिशत की कमी देखी गई थी, वहीं 2016 में ये 2.9 प्रतिशत बढ़ गए है।"

पिछली बार की ही तरह इस बार भी महिलाओं के प्रति अपराध के सबसे ज्यादा मामले पति और रिश्तेदारों के अत्याचार के रूप में सामने आए हैं. ऐसे एक लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं. जिसमें पिछली बार की तुलना में बहुत बड़ा बदलाव नहीं है. वहीं दूसरे नंबर पर महिलाओं रेप की कोशिश और अन्य शीरीरिक उत्पीडन शामिल है, जिनकी संख्या 84 हजार है। इसमें घूरने के 932 और पीछा करने के 7 हजार से ज्यादा मामले सामने आए हैं।

महिलाओं के प्रति अपराध में तीसरे नंबर पर अपहरण के 64000 मामले है. 2015 के मुकाबले यह संख्या 4000 ज्यादा बढी है। इसमें शादी के लिए अपहरण किये जाने मामले सबसे ज्यादा है, जो कि करीब 33 हजार है।

रेप के दर्ज मामले 2015 के मुकाबले 2016 में बढ़े है। इसमें भी रेप करने वाले 94 प्रतिशत वे लोग हैं जो करीबी है. शादी का झांसा देकर रेप करने वाले मामले ज्यादा हैं, जिनकी संख्या करीब 10 हजार है. 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ रेप के मामले में मध्यप्रदेश सबसे ऊपर है।

उपरोक्त आंकड़े यह बताते हैं कि महिलाओं के प्रति अपराध में लगातार वृद्धि होती जा रही है। यदि इस पर अंकुश न लगाया गया तो स्थिति इतनी भयावह हो जावेगी कि समाज में अराजकता पैदा हो जायेगी।

सुझाव

घरेलू हिंसा से बचाव के लिए महिलाओं को स्वयं प्रयास करना होगा। अतः महिलाओं को घरेलू हिंसा से बनाने के लिए कुछ सुझाग इस प्रकार है।का अनुरोध किया है ताकि पुरुष और महिला दोनों इसका लाभ उठा सकें।

1 महिलाओं के प्रति होने वाली घरेलू हिंसा के खिलाफ चुप्पी तोडे।

2. हिंसा से पीडित महिला का सहयोग कर उन्हें जीने के लिए हौसला दे।

3. अखबार या संबंधित विभाग को पत्र के माध्यम से हिंसा की घटनाओं की भर्त्सना करें।

4. महिलाओं के लिए शिक्षा को आवश्यक बनाए।

5. महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करें।

6. आज की युवा पीढ़ी महिलाओं के प्रति सोच को बदले।

7. घरेलू हिंसा के खिलाफ होने वाली बैठकों, रैलियों अथवा अन्य गतिविधियों में भाग लेकर।

8 घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को आर्थिक सहयोग व थोड़े समय के लिए आश्रय देकर।

9. हिंसा की जानकारी मिलने पर हस्तक्षेप करें या संबंधित विभाग को या एनजीओं को सूचना देकर।

10. पुरुषों की महिलाओं के प्रत्ति संकीर्ण मानसिकता को बदले।

मूल्यांकन

घरेलू हिंसा निवारण कानून को लागू हुए कई साल हो गये है। इस दौरान इस कानून के पक्ष और विपक्ष में खूब प्रतिक्रियाएं समाज के विभिन्न वर्गों से प्राप्त होती रही है। इस महत्वपूर्ण कानून के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए जरूरी है यह जानना कि इसे लागू करवाने के लिए देशभर में कितना प्रयास हुआ कितने प्रकार के मैकेनिज्मा विकसित किये गये और क्या इसका दुरूपयोग होने की भी कोई गुंजाइश है। हाल ही में सरकार ने सभी राज्यों और संघशासित प्रदेशों से घरेलू हिंसा निषेध कानून लागू करने केलिए तुरंत जरूरी कदम उठाने को कहा है। चूंकि घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में कानून को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए काउंसलर की आवश्यकता होती है, और विभिन्न राज्यों में काउंसलरों की कमी को ध्यान में रखते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु कई कदम उठाए हैं। इनमें प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं:

1. **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम**, 2005

यह अधिनियम घरेलू हिंसा को रोकने और पीड़ित महिलाओं को संरक्षण देने हेतु बनाया गया है। इसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक हिंसा के मामलों में कार्रवाई का प्रावधान है।

2. **संरक्षण अधिकारी एवं सेवा प्रदाता**

मंत्रालय ने प्रत्येक जिले में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की है, जो पीड़ित महिलाओं को सहायता और समर्थन प्रदान करते हैं।

इसके अलावा, सेवा प्रदाता संगठन भी इन महिलाओं को आश्रय, परामर्श और अन्य आवश्यक सेवाएँ प्रदान करते हैं।

3. **वन स्टॉप सेंटर (**One Stop Center)

मंत्रालय द्वारा स्थापित इन केन्द्रों में पीड़ित महिलाओं को एक ही स्थान पर कानूनी, चिकित्सीय और मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

4. **महिला हेल्पलाइन –** 181

मंत्रालय ने **181** महिला हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, जो संकट में फंसी महिलाओं को तुरंत सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है।

5. आघात-सूचित देखभाल (Trauma-Informed Care)

मंत्रालय विभिन्न परियोजनाओं जैसे "जीवन मनोरंजन" आदि के माध्यम से पीड़ित महिलाओं को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए आघात-सूचित देखभाल की व्यवस्था कर रहा है।

इन सभी पहलों के माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय घरेलू हिंसा से जुड़ी परिस्थितियों में महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

निष्कर्ष

घरेलू हिंसा महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में सबसे बड़ा अपराध है। घरेलू हिंसा को घरेलू दुव्र्व्यवहार, वैवाहिक दुर्व्यवहार, पारिवारिक हिंसा आदि नाम भी दिए जाते है। भारत में हर दस महिला में से चार को घरेलू हिंसा का अपमान झेलना पड़ता है। अतः इसका कारण हमारे समाज की सकीर्ण मानसिकता, पुरुषों की सोच, ससुराल वालों का पुत्र व दहेज का लालच, महिलाओं का अशिक्षित होना आदि कई सारे कारण

© 2025 Jyoti Songara, Dr. Richa Shrivastava, Dr. Niti Nipuna, Dr. Vishal Sharma. This open-access article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

है। अतः इस तरह के अपराध का निदान के लिए हम युवा पीढ़ी को आगे आना होगा तथा महिलाओं को शिक्षित कर कानूनों के प्रति जागरूक करना होगा। इसके अलावा समाज वालों की सोच में बदलाव लाना होगा। अतः हमारे इसी प्रयास के द्वारा महिलाओं के प्रति होने वाली घरेलू हिंसा को कम किया जा सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. राम आहूजा (1998) महिलाओं के प्रति हिंसा रावत पब्लिकेशन (राजस्थान) जयपुर
2. अंसारी एम.ए. (2003) महिला एवं मानव अधिकार ज्योति प्रकाशन जयपुर
3. डॉ. राजकुमार नारी के बदले आयाम अर्जुन पब्लिकेशिंग हाऊस 2005
4. डॉ. राजनारायण स्त्री विमर्श और सामाजिक आन्दोलन अखण्ड ज्योति
5. लहा डॉ. मंजू, अनुसूचित जाति में महिला उत्पीडन अर्जुन पब्लिशिंग नई दिल्ली 2010 पृष्ठ 6
6. डॉ. राजेन्द्र यादव, आदमी की निगाह में औरत, राजकमल प्रकाशन 2007 पृ.15.
7. डॉ. सिंह निशान्त, महिला विधि राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली 2008 पृ सं 181
8. डॉ. ममता घरेलू हिंसा त्महंस घ्इसपबंजपवद छमू व्मसीपए 2010एच्छा 56

Websites:-

http://hi.m.wikkipedia.org
http://orfonline.org
http://ichowk.in
http://hindi.news18.com

Creative Commons (CC) License

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

About the Authors

ज्योति सोनगरा, SAGE यूनिवर्सिटी के इंस्टिट्यूट ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज़ में शोधार्थी हैं। उनका शोध कार्य समकालीन भारत में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा की प्रवृत्तियों पर केंद्रित है। वह यह अध्ययन कर रही हैं कि किस प्रकार जागरूकता, सशक्तिकरण, तथा कानूनी सहायता के माध्यम से महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा को रोका जा सकता है। ज्योति सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में गहरी रुचि रखती हैं तथा विभिन्न शैक्षणिक संगोष्ठियों, सेमिनारों और कार्यशालाओं में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। उनका शोध महिला अधिकारों, कानूनी चेतना, और लैंगिक न्याय की दिशा में एक गंभीर प्रयास है।

© 2025 Jyoti Songara, Dr. Richa Shrivastava, Dr. Niti Nipuna, Dr. Vishal Sharma. This open-access article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/